सार-समाचार

विश्व शांति दिवस का आयोजन

देवगढ़, (निसं)। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवगढ़ में विश्व शांति दिवस का आयोजन बुधवार को किया गया। विद्यालय के स्काउट गाइड जिन्होंने राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण में भाग लिया तथा विद्यालय के 16 स्काउट गाइड जिन्होंने तृतीय सोपान परीक्षा पास की उन सभी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रधान किए गए।स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य विजयेंद्र नागदा ने बताया कि इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जिसमें बालकों द्वारा सभी धर्म की प्रार्थना सभी धर्म की वेशभूषा में प्रस्तुत हुए स्थानीय विद्यालय के स्काउट गाइड प्रभारी ज्ञान चंद्र रेगर द्वारा विद्यालय में संचालित स्काउट गाइड गतिविधियों के बारे में बताया एवं स्काउट गाइड के महत्व एवं कार्य के बारे में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की राज्य पुरस्कार में विद्यालय के कृष्णावर्धन सिंह मोहित सिंह वीरेंद्र सिंह हिना चौहान कुमारी चित्र और कुसुम टाकने प्रतिभा लिया एवं परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र प्राप्त किया साथी तृतीय सोपान के लिए स्काउट में हृदयराज सिंह गर्वित कुमावत शुभम लोहार हर्षवर्धन सिंह अद्वैत नागदा मनीष चंद्रकलाल यशवर्धन सिंह पवन रावल ने भाग लिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा

कपासन, (निसं)। विधानसभा क्षेत्र एवं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के खाली तालाबों में मातृकुंडिया बांध से पानी लाकर भरने की मांग को लेकर पूर्व विधायक एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जाट ने बताया कि कपासन विधानसभा क्षेत्र के भोपाल सागर, धमाना, कपासन, सिंहपुर, तुमंडीया, डिंडोली, तालाब अभी तक खाली पड़े हैं जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है।उल्लेखनीय है कि कपासन विधानसभा क्षेत्र का मातृकुंडिया डैम पूरा भर चुका है तथा ओवर फ्लो होकर पानी नदी में जा रहा है। जाट ने ज्ञापन में बताया कि मातृकुंडिया बांध के पानी से कपासन विधानसभा एवं चित्तौड़ विधानसभा के सभी खाली पड़े तालाबों में पानी भरने की मांग की है। उपरोक्त ज्ञापन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम पर अनुशंसा कर त्वरित कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुंचाने का आग्रह किया है।

महिला की चेन छीनी

उदयपुर, (कासं)। शहर के भुपालपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश स्कूटी सवार महिला के गले से सोने की चेन छिन ले गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित सुरभि पामेचा पत्नी परितोष पामेचा निवासी मधुवन ने भुपालपुरा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि मैं चाणक्यपुरी से स्कूटी पर अपनी सासा विनिता को लेकर मधुवरन घर लौट रही थी। जहां बीच रास्ते ओवर ब्रिज खत्म होने पर बीएन के समीप पिछे से आए बाइक सवार हेलमेट पहने बदमाश मेरी सास के गले पर झपट्टा मार कर सोने की चेन छिन ली इसको देख चिल्लाने पर बदमाश का पिछा किया लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा।

नकदी व समान चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षैत्र देबारी स्थित दरगाह से चोर नकदी व सामान चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार रात में प्रतापगर थाना क्षेत्र देबारी स्थित दरगाह में घुसे चोर चांदी के 5 छत्र, माईक मशीन व गुल्लक चुरा ले गए। दूसरे दिन बुधवार को इसका पता चलने पर दरगाह सदर शाहरूख ने पुलिस को सूचना दी। इस मामले में सीसीटीवी केमरों में दो नकाबपोश द्वारा वारदात करने की जानकारी सामनेआई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं शहर के सविना थाना क्षैत्र में सूने मकान का चोर ताला तोड़ कर जेवरात व नकदी चुरा ले गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित डॉ.भीमसिंह पुत्र दातारसिंह सोनिगरा निवासी राधे विहार पिपली तिराहा तितरड़ी सविना के सूने मकान का 16 सितंबर रात में अज्ञात चोर ताला तोड़ कर सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी चुरा ले गए। भीमसिंह गत दिनों बाहर गया था। वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था।

2.50 लाख की सामग्री भेंट

उदयपुर, (कासं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभागपुरा में "मानव कल्याण फाउण्डेशन" की ओर से बुधवार को लगभग दो लाख पचास हजार रुपये की उपयोगी सामग्री भेंट की। प्रधानाचार्य सुनीता धनखड़ ने बताया कि फाउण्डेशन की ओर से विद्यालय के लिए एक लेपटॉप, दो डेस्कटॉप कम्प्यूटर, एक यूपीएस, एक लेजर प्रिंटर, एक प्रोजेक्टर, दो कम्प्यूटर टेबल व चेयर्स एवं एक इन्वर्टर भेंट किया गया है। साथ ही विद्यालय एवं पौधों की सुरक्षा हेतु वायर फेसिंग का कार्य कराया गया।

आम सूचना

मैं मेरे व्यवहारी युग्रो केपिटल लिमिटेड शाखा राजसमन्द से प्राप्त हिदायत व निर्देशानुसार सभी को सूचित करता हूं कि श्री लोकेश पिता श्री मुरलीधर नि. लखावली, तह. बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.) की सम्पति का दस्तावेज आवासीय भूमि पट्टा नं. 41956 ग्राम पंचायत लखावली में पुर्वाधिकारी मांगीबाई पत्नी श्री प्रकाश के पक्ष में दिनांक 05-07-2017 जारी किया गया जो कि आगे जाके श्री लोकेश पिता श्री मुरलीधर ने क्रय किया और वह असल भूमि का पट्टा नं. 41956 जो कि तहसील कार्यालय से अपने घर की ओर जाते समय पर कहीं गुम हो गया। अब प्रार्थी श्री लोकेश पिता श्री मुरलीधर ने ऋण लेने हेतु आवेदन किया है। उक्त सम्पति श्री लोकेश पिता श्री मुरलीधर की है। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रजि क्रमांक सं. 2384029/2024 दिनांक 05.09.2024 को दर्ज कराई। अतः उक्त सम्पति का दस्तावेज किसी को मिले तो इस प्रकाशन के 05 दिनों के भीतर मुझसे मेरे कार्यालय में सम्पर्क करें।

एडवोकेट पंकज टांक
चित्तौड़गढ़ मो. 9413162064

रथोत्सव आज से

डूंगरपुर, (निसं)। जैन समाज के पर्युषण पर्व के समाप्ति के पश्चात तीन दिवसीय रथोत्सव 19 सितम्बर से प्रारंभ होंगे। प्रवक्ता पियुष घाटियाए रवि सेठ व बदामीलाल वखारिया ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रथम दिन 19 सितम्बर को रात्रि 8 बजे घाटी स्थित मामा.भानजा मंदिर से, फौज का बडला, माणक चौक यहां से कोटडियां जैन मंदिर का रथ साढे आठ बजे शामिल होकर दोनों रथ सोनिया चौक, कंसारा चौक, विजय चौक होते हुए गेपसागर की पाल पर पहुंचेगे। दोनो रथों का रात्रि विश्राम गेपसागर की पाल ही रहेंगा। जहां पर श्रद्धालु रथों के सम्मान में डांडिया नृत्य करेंगे। इसके पश्चात 2० सितम्बर शुक्रवार को दिन भर दर्शनार्थी का मेला लगा रहेगा। शाम को डांडिया नृत्य के पश्चात रात्रि 11 बजे दोनों रथ वापस शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। जिसमे कोटडिया मंदिर का रथ तो भण्डार कर दिया जायेगा।

प्रारूप-13
(नियम-13 (2) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3555 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में आया है कि राजस्व ग्राम गुडली खसरा सं.290 रकबा 0.1295 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा में स्थित भूमि या उसके भाग दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है/ किया गया है और इस लिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/ हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अत: उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर-भीतर कारण बतायें कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सके। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3530 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

मैसर्स वैभव लैण्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड प्रो.श्री लोकेश श्रीमाली पिता श्री मनोहरलाल श्रीमाली निवासी भीलवाड़ा रोड पंचरत्न कॉम्पलेक्स कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	जावद	835/2	रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

सभापति कलासुआ ने छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई

डूंगरपुर, (निसं)। भारतीय संस्कृति में स्वच्छता उपदेश या संदेश की बात नहीं वरन हमारे जीवन में रचा-बसा पारंपरिक संस्कार है और छात्र स्वच्छता को अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल कर इस स्वच्छता रूपी संस्कार को अपनाएं।

यह बात बुधवार को जिले के सबसे बडे महाविद्यालय एसबीपी महाविद्यालय में छात्रों से संवाद करते हुए कही। बुधवार को स्वच्छता ही सेवा पखवाडा अभियान के तहत टीम परिषद के सभापति अमृत कलासुआ, आयुक्त लोकेश पाटीदार, पार्षद भूपेश शर्मा, भरत जोशी, परिषद के सहायक अभियंता भक्तेश पाटीदार,कनिष्ठ अभियंता प्रकाश महावार, राजेंद्रपाल सिंह सहित कॉलेज के प्रिंसिपल गणेश

- **स्वच्छता को स्वभाव में लाकर संस्कारों में पिरोएं : सभापति कलासुआ**

निनामा सहित कॉलेज के व्याख्याता और छात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर कॉलेज प्रगण में एक पेड मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया। उसके उपरान्त सभापति ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत छात्रों के साथ स्वच्छता विषय पर संवाद किया और कहा कि हम अपने स्तर पर स्वच्छता की पुनर्स्थापना के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर आज चिंतन की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी हैं तो अपने तन को साफ.सुंदर रखने के साथ.साथ अपने पढने के स्थान को और अपने विद्यालय व कक्षा कक्ष को साफ. सुथरा रखने का प्रयास करें। शिक्षक हैं तो स्वयं भी स्वच्छता का ख्याल रखें और घर-परिवार-समाज को स्वच्छता का संस्कार दें। विद्यालय में सफाई की उपयुक्त व्यवस्था की निगरानी करें और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अभिभावकों की जिम्मेदारी दोहरी है। उन्हें अपने घर, गली, मोहल्ले की सफाई के साथ-साथ बच्चों की स्वच्छताए स्वास्थ्य और शिक्षा का दायित्व भी निर्वाह करना होगा। घर की सफाई की तरह ही किसी भी गांवए कस्बेए नगर और महानगर की सडकों, रेलवे या बस स्टेशन व पार्क-अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थल साफ-सुथरा रखने का कर्तव्य भी प्रत्येक भारतीय नागरिक को मन पूर्वक निर्वहन करना है। यदि हम स्वच्छता का संस्कार अपनाने का निश्चय कर लें तो गंदगी और इससे उत्पन्न अनेक बीमारियों से हमारा समाज मुक्त हो सकेगा। सभापति ने सभी छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शहर सहित जिले को स्वच्छ रखने हेतु अपील की। अन्त में महाविद्यालय प्राचार्य ने गणेश निनामा ने आभार जताया।

सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण करते परिषद सभापति व अन्य।

मेवाड़ त्याग व बलिदान की धरती : कटारिया

मेवाड गौरव सम्मान में 23 प्रतिमाओं को सम्मानित किया।

उदयपुर, (कासं)। शहर में मेवाड गौरव सम्मान सीजन 3 का आयोजन सिटी पैलेस के फतहप्रकाश होटल के दरबार हॉल में किया गया।

मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया थे। विशिष्ट अतिथि चित्तौडगढ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, मेवाड के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराजसिंह मेवाड, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, पुलिस महानिरीक्षक अजयपाल लांबा, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एसएस सारंगदेवोत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, कांग्रेस प्रदेश महासचिव पंकज शर्मा प्रदेश महासचिव कांग्रेस थे। अध्यक्षता फर्स्ट इंडिया न्यूज एवं फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोडा थे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली 23 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मेवाड वाकई में अपने आप में त्याग व बलिदान की धरती है। यहां आने वाला शख्स इस धरती को नमन करने को लालायित रहता है। मेवाड के एक ही राजा प्रभु एकलिंगनाथजी हैं और राज करने वाला दीवान कहा जाता है। यहां के त्याग, बलिदान ,शौर्य व पराक्रम को दुनिया नमन करती है। यही वजह है कि हम दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, एक ही शब्द कहा जाता है, आप मेवाड से हो।

डॉ. लक्ष्यराजसिंह मेवाड ने कहा कि मेवाड गौरव सम्मान वाकई में मेवाड का सम्मान है। मेवाड के गौरवशाली इतिहास पर डॉ. लक्ष्यराजसिंह ने कहा कि स्वतंत्रता शब्द मेवाड ने दिया है। जिस दरबार हॉल में फर्स्ट इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है यहां इतिहास लिखा गया है। दरबार हॉल में पूर्व राष्ट पति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पहली न्यूक्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। दरबार हॉल में जी 20 समिट भी आयोजित हुई हैं। उन्होंने कार्यक्रम के लिए फर्स्ट इंडिया को बधाई दी। उन्होंने मेवाडी में कहा कि 'आपणो आपां सूं टूटे तो दर्द जरूर वेवे' इसीलिए ऐसी कडी को जरूर बांधे रखे जो मेवाड के गौरव की बात करते हैं। स्वागत उद्बोधन उदयपुर रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा ने दिया। पवन अरोडा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित हो रहा गौरव सम्मान अपनेआप में अनूठा कार्यक्रम है। यह सम्मान अन्यों को प्रेरणा देने का लक्ष्य है। इस दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैनल की ओर से जन्मदिन की बधाई दी।

एनपीएस वातसल्य योजना का शुभारम्भ

उदयपुर, (कासं)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नाबालिगों के लिए एनपीएस वातसल्य योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय बैकर्स समिति द्वारा राजस्थान के डीसेन्ट स्कूल देवली रोड कोटा में एनपीएस वातसल्य योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया गया।

इस अवसर पर सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव त्यागी एवं बैक ऑफ बडोदा के उप क्षेत्रीय प्रबंधक अमलेश एवं एलडीएम दिलीप कॉर सहित अनेक बैको के पदाधिकारियों एवं स्कूल के कर्मचारियों एवं छात्र उपस्थिति रहे।

सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधक गोरव त्यागी ने एनपीएस वातसल्य योजना के बारे में बताते हुए कहा की 0 से 18 साल तक के बच्चो के लिए यह एक बचत प्लान हैं । इस योजना के तहत यह परिकल्पना है कि कम उम्र में ही युवा ग्राहकों में बचत की आदत विकसित होगी और चक्रवृद्धि ब्याज की विशेषता के माध्यम से एनपीएस वात्सल्य के ग्राहक बडी रकम जमा कर सकेंगे।

इस अवसर पर एलडीएम दिलीप कॉर ने बताया की यह योजना नाबालिग बच्चों के लिए है। माता-पिता या अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में तब तक योगदान कर सकते हैं जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते।

हर्षदित्य को स्वर्ण

उदयपुर, (कासं)। जयपुर में जारी 68 वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी तैराकी प्रतियोगिता के प्रथम दिन उदयपुर का दबदबा रहा।

जिला खेल अधिकारी एवं तैराकी प्रशिक्षक डॉ.महेश पालीवाल ने बताया कि उदयपुर के हर्षदित्य सिंह राणावत ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक पर कब्ज़ा जमाया। साथ ही फ्रीस्टाइल रिले बॉयज रेस में रजत पदक जीता।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक

बांसवाड़ा, (निसं)। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में हुई।

डॉ. यादव ने सीएमएचओ डॉ. एचएल ताबियार से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ताबियार ने बैठक में स्पष्ट किया कि शिकायतें आ रही है कि ओपीडी के समय खत्म होते ही डॉक्टर निकल जाते है। ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि पेशेंट अस्पताल परिसर में मौजूद है तो कोई भी चिकित्सक बिना जांच किए नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ओपीडी समय खत्म होने के बाद भी यदि पेशेंट अस्पताल के अंदर है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक अस्पताल का नाम लिए बगैर उदाहरण प्रस्तुत किया कि ओपीडी शुरू होने के 15 मिनट बाद उनके पास एक पेशेंट का कॉल आया कि उसका स्वास्थ्य खराब है लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक और स्टाफ को ओपीडी से पांच मिनट पहले अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी बीसीएमओ को ऐसे मामलों में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पेसिफिक हॉस्पिटल उमरड़ा व स्कूल शिक्षा परिवार उदयपुर के मध्य करार

उदयपुर, (कासं)। शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे निजी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने अब जन सामान्य के स्वास्थ्य की देखभाल व बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संभाग के बडे मेडिकल कॉलेज पेसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पिम्स हॉस्पिटल) उमरडा के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया है। इसके अंतर्गत पिम्स हॉस्पिटल एक वर्ष तक स्कूल शिक्षा परिवार से जुडे समस्त निजी स्कूलों के सहयोग से उदयपुर संभाग में विभिन्न क्षेत्रो में निःशुल्क जांच शिविरों का आयोजन करेगा जिसमें निःशुल्क परामर्श, जांच व दवाइयों आदि व्यवस्था होंगी।

इन शिविरों में नाक, कान, गला की जांच, दांतों की जांच, आँखों की जांच, शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सा परामर्श, स्त्री रोग परामर्श, जनरल मेडिसिन के साथ ही निःशुल्क पारिवारिक आभा आईडी सुविधा कार्ड भी उपलब्ध कराये जाएंगे। स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग महामंत्री भवानी प्रताप सिंह झाला ने बताया कि स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग प्रभारी सीपी रावल, संभाग अध्यक्ष गिरीश जोशी व पेसिफिक हॉस्पिटल की ओर से पिम्स के मुख्य वित्त सचिव नमन अग्रवाल एवं मेडिकल डायरेक्टर डॉ. कमलेश शेखावत ने पिम्स के निदेशक आशीष अग्रवाल, चेयरपर्सन शीतल अग्रवाल एवं स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से सम्भाग महामंत्री भवानी प्रताप सिंह झाला, शहर जिलाध्यक्ष कपिल शर्मा एवं जिला संयोजक अनुभव गौड की उपस्थित में एमओयू पर हस्ताक्षर किये। एक वर्ष तक चलने वाले इन शिविरों का आगाज रविवार 22 सितंबर को डबोक स्थित दी एलिट स्मार्ट स्कूल से होगा।

पेसिफिक हॉस्पिटल उमरडा व स्कूल शिक्षा परिवार उदयपुर के मध्य करार हुआ।

स्कूल का रिकार्ड चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर से सटे बडगांव में पुलिस थाने से कुछ ही दूर पर स्थित राजकीय प्रावि बडगांव में बदमाश स्कूल में रखे सामान के साथ ही स्कूल का रिकॉर्ड, हाजरी रजिस्टर आदि भी चुरा ले गए।

प्रधानाध्यापिका ने बडगांव थाने में बुधवार को इसकी रिपोर्ट दी है। इस घटना से बडगांव थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खडे हो रहे है। प्रधानाध्यापिका अनिता जाट ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है कि स्कूल में गत पांच दिनों से अवकाश था। बुधवार को सुबह सवा सात बजे स्कूल खोला गया तो पाया कि स्कूल के ऑफिस व अन्य कक्षों की खिडकियां तोड अज्ञात चोर स्कूल में रखे सामान के साथ ही रजिस्टर आदि भी चुरा ले गए।

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3550 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

श्री दिनेश पहाड़िया पिता श्री भंवरलाल खटीक निवासी आवरी माता मन्दिर के सामने अयोध्यापुरी किशोरनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	किशोरनगर	1139/767	रकबा 0.0513 हैक्टेयर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3534 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

श्रीमति कैलाशदेवी पत्नि श्री कुन्दनमल बड़ोला निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	राजनगर	1670/236	रकबा 0.0568 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3546 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

श्रीमती कमला कुंवर पत्नी श्री विजय सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा जावद एवं श्रीमती सरस कुंवर पत्नी श्री सज्जन सिंह राजपूत निवासी सालमपुरा तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	जावद	1227/979	रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3538 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

श्री सुखलाल पिता श्री भैरूलाल खटीक निवासी किशोरनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	बागपुरा	686	रकबा 0.1214 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3542 **लोक-सूचना** दिनांक :18/9/2024

श्री संजय मादरेचा पिता श्री ख्यालीलाल मादरेचा निवासी अरिहन्त विहार 100 फीट रोड़ राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	राजनगर	375	रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/9/2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

क्रमांक/न.पा.ना./नामान्तरण/2024-25/10983 दिनांक : 12/09/2024

-:आपत्ती सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/भवन का स्वयं के नाम पर अंगराकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/ पता	आवेदिक सम्पत्ति का विवरण	पड़ौस पूर्व	पड़ौस पश्चिम	पड़ौस उत्तर	पड़ौस दक्षिण
1	श्री दीपक सनाढ्य पिता श्री तुलसीदास सनाढ्य	लोधा नाथद्वारा, स्वीकृत योजना नाप 80 वर्गगज	बाडा सरकारी पड़त जमीन	आम रास्ता	मकान श्री पुरूषोत्तम नाई	मकान श्री कन्हैयालाल सनाढ्य

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

खेरवाड़ा शाखा, आजाद चौक, खेरवाड़ा उदयपुर, राजस्थान 313803, शाखा कोड: 31220 ई-मेल: sbi.31220@sbi.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री नाथू लाल कलाल पुत्र श्री फता कलाल, श्री आनन्द प्रकाश कलाल पुत्र श्री नाथू लाल कलाल एवं श्री मोहन लाल कलाल पुत्र श्री नाथू लाल कलाल पर मांग सूचना दिनांक 24.06.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 23.06.2024 को बकाया राशि रू. 8,47,052.92 (रूपये आठ लाख सैंतालीस हजार बावन एवं पैसे बानवे मात्र) (दिनांक 23.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 13, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उसमे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 23.06.2024 को बकाया राशि रू. 8,47,052.92 (रूपये आठ लाख सैंतालीस हजार बावन एवं पैसे बानवे मात्र) (दिनांक 23.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **भारतीय स्टेट बैंक, खेरवाड़ा शाखा, आजाद चौक, खेरवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान 313803** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री आनन्द प्रकाश कलाल पुत्र श्री नाथू लाल कलाल एवं श्री मोहन लाल कलाल पुत्र श्री नाथू लाल कलाल के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो सर्वे नं. 1128, खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.03 हैक्टेयर है। **सीमाएं-** उत्तर: श्री पुरण लाल का मकान, दक्षिण: श्री हकरता का मकान, पूर्व: श्री हेमचंद का मकान, पश्चिम: आम रोड

स्थान: खेरवाड़ा (उदयपुर) हस्ता.
दिनांक: 13.09.2024 प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक